[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

को हर सूरत से नाकूली होने वाली क्षति होगी, दीगर मुकदमाबाजी में पड़ना पड़ेगा व अपनी खरीदशुदा खातेदारी आराजी से वंचित होना पड़ेगा। इसलिए वादीगण आराजी का बाई मीटस एण्ड बाउन्डस विभाजन कराकर अपने हिस्से का खाता लगान अलग कराने के व प्रति को हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपस्थित हुये। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा काउन्टर क्लेम पेश किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 416 रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम दांगनहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर में मिन प्रतिवादी संख्या 2 का 77/95 हिस्सा निहित है। जमाबन्दी संवत् 2055 लगायत 2062 में मिन प्रतिवादी संख्या 2 का 39/95 हिस्सा खातेदारी का दर्ज था। महताब सिंह का 38/95 हिस्सा था। महताब सिंह उर्फ करतारसिंह पुत्र लालसिंह उर्फ जुम्मासिंह के मिन प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 26.07.1986 को जरिये ईकरारनामा 1 बीघा 10 बिस्वा जमीन खरीद कर ली थी। ईकरारनामा द्वारा कब्जा भी मिन प्रतिवादी संख्या 2 को उसी दिन प्राप्त हो गया था। खरीद करने के दौरान उक्त जमीन को महताबसिंह से सुच्चासिंह पुत्र फत्तासिंह ने दौराने दावा खरीद कर ली। मिन प्रतिवादी संख्या 2 ने जरिये ईकरारनामा उक्त खरीदशुदा आराजी की बाबत तकमील मुहायदा बैय का वाद महताबसिंह के खिलाफ माननीय सिविल न्यायाधीश, तिजारा में प्रस्तुत किया था, जो वाद दिनांक 06.03.1997 को डिक्री कर दिया गया। जिसकी पालना में दिनांक 17.11.2007 को न्यायालय द्वारा बयनामा मिन प्रतिवादी संख्या 2 के हक में बयनामा तहरीर व तकमील करा दिया गया। फैसला व बयनामा की प्रति संलग्न काउन्टर क्लेम दावा है। जब अदालत श्रीमान् द्वारा उक्त विवादित आराजी का 38/95 यानि 1 बीघा 10 बिस्वा आराजी का वाद संख्या 19/95 दिनांक 06.03.1997 को डिक्री कर दिया गया तो उक्त आराजी में ना तो कोई सुच्चासिंह पुत्र फत्तासिंह का हक व हकूक थे व ना ही सुच्चासिंह पुत्र फत्तासिंह को उक्त आराजी को वादीगण को बेचाने का कानूनन कोई हक व हकूक नहीं था। सुच्चासिंह द्वारा जो बयनामें वादीगण को कराये गये है वो विधि विरूद्व कराये गये है, जो विधि द्वारा शून्य है। महताब सिंह ने दौराने दावा आराजी का विक्रय सुच्चासिंह को कर दिया और सुच्चासिंह ने जानबूझकर डिक्री की जानकारी होते हुये भी उक्त आराजी का बेचान वादीगण के हक जो बयनामें कराये वह सिविल न्यायाधीश तिजारा द्वारा निरस्त कर दिये गये। जब सुच्चासिंह का बयनामा निरस्त कर दिया गया तो फिर सुच्चासिंह को उक्त आराजी को वादीगण को बेचान करने का कानूनन कोई हक व हकूक नहीं था, जो बयनामें अपने आप में एफ पेपर की श्रेणी में आते है। मिन प्रतिवादी संख्या 2 का उक्त विवादित आराजी में 77/95 हिस्सा है। मिन प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं को विवादित आराजी खसरा नम्बर 416 रकबा 0.95 है0 के 77/95 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। मिन प्रतिवादी संख्या 2 उक्त विवादित आराजी में 77/95 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार है व मिन प्रतिवादी संख्या 2 अपने हिस्से पर मौके पर काबिज व दाखिल है वादीगण का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। इसलिए वादीगण के नाम जो 38/95 हिस्से का अमल हो रहा है वह विधि विरूद्व है तथा हजफ किये जाने योग्य है। जिस विधि विरूद्व अंकन को हजफ कराकर मिन प्रतिवादी संख्या 2 विवादित आराजी खसरा नम्बर 416 रकबा 0.95 है0 के 77/95 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराने तथा इसी कदर हाल राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का अमल दर्ज कराने का

प्रतिवादी व [illegible] प्रतिवादी संख्या 2 को अपने हकूकों की बाबत यह राजीनामा बयान दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 2?.?.202? को एक राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त राजीनामे के आधार पर वाद को डिक्री किया जाता है तो हम वादीगण व प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत राजीनामे के अवलोकन तथा वादी व प्रतिवादी के राजीनामे के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादी का वाद प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 416 रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम [illegible] तहसील तिजारा जिला अलवर पर वादीगण संख्या 1 लगायत 4 का 19/95 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 19/95 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 38/95 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व वादी संख्या 5 का नाम इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
75/2008	18-02-2008	21/12/2021

उनवान

01. [illegible] पुत्र श्री [illegible]सिंह पंजाबी निवासी टपूकडा

02. मुकेश कुमार पुत्र श्री किशनलाल

03. [illegible] कुमार पुत्र बहादुरचन्द पंजाबी निवासी टपूकडा

04. [illegible] कुमार पुत्र [illegible] जाति नाई निवासी टपूकडा

05. सुनीता पत्नी राकेश मलिक जाति जाट निवासी बी.ओ. 32 मसूदपुर बसन्त कुन्ज दिल्ली।

———:: वादी

(ब नाम)

01. [illegible] कक्कड पुत्र श्री चेतनदास खत्री निवासी डी–32 सीसी कॉलोनी दिल्ली।

02. [illegible] पुत्र लीलाधर कोन वैश्य निवासी टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

03. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तिजारा जिला अलवर।

———:: प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक नय इन्द्राज दुरुस्ती वो हुक्मइम्तनाई

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: पर्चा डिक्री :–

वादी का वाद प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 416 रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर पर वादीगण संख्या 1 लगायत 4 का 19/95 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 18/95 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 58/95 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व वादी संख्या 5 का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)